अनुसूची 14 – फारम सं0 563

क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई व बारे मे टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

विविध वाद सं0 – 33 / 2016–17

दुर्गा प्रसाद सिंह मानकी एवं अन्य – आवेदक।

–बनाम–

राज्य एवं मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. झारखण्ड स्टील लिमिटेड वैग0 – विपक्षी।

आदेश

25
10.12.17

अवेदक (1) दुर्गा प्रसाद सिंह मानकी पिता स्व0 प्रह्लाद सिंह मानकी, (2) हरिहर सिंह मानकी पिता श्री दुर्गा प्रसाद मानकी, (3) गोपाल सिंह मानकी, (4) त्रिवेणी सिंह मुण्डा, (5) मनी नाथ सिंह मुण्डा सभी पिता स्व0 लक्ष्मी कांत सिंह मानकी, (6) श्याम सुन्दर सिंह मानकी एवं (7) उदय नाथ सिंह मानकी दोनो पिता स्व0 फुटू सिंह मानकी सभी निवासी – चौकाहातु, थाना सोनाहातु, जिला रॉची ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 241 के तहत मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. झारखण्ड स्टील लिमिटेड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, श्री रामनाथ चौबे पिता स्व0 एस0 एन0 चौबे एवं राजीव कुमार गुप्ता पिता स्व0 श्रीचन्द्र गुप्ता एवं नवीन कुमार औझा पिता स्व0 शैलेन्द्र कुमार औझा एवं श्री बसवराज दलगडे पिता स्व0 महादेवप्पा दलगडे, बी0 – 236, भूतल, रोड सं0 03, अशोक नगर, जिला रॉची । के साथ

ग्राम	थाना सं0	खेवट सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (एकड़)
चौकाहातु	03	91	957	744	1.24
				कुल रकबा –	1.24 एकड़

भूमि बिक्री करने की अनुमति के लिये आवेदन पत्र दिया है, इसी के आधार पर इस विविध वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा आवेदन पत्र की जॉच भूमि

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई व बारे मे टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू से कराई गई। प्रस्तुत मामले मे भुमि सुधर उप–समाहर्त्ता बुण्डू, रॉची ने पत्रांक 247 दिनांक 15.09.2017 के माध्यम से जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया है जो इस अभिलेख के साथ संलग्न है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन का आवलोकन किया। प्राप्त जॉच प्रतिवेदनानुसार ॲचलाधिकारी सोनाहातु के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खेवट सं0 91 किस्म ब्रहमोतर दर्ज है, जिसे बिक्री करना विधिसम्मत नही है। अतः भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू के प्रतिवेदन द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक मे आवेदकगण द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 241 के तहत प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। उपायुक्त, रॉची। लेखापित एवं संशोधित उपायुक्त, रॉची।	